

-:परिपत्र:-

विषय: कोविड-19 के सम्बन्ध में वैक्सीनेशन कार्यक्रम हेतु दिशा निर्देश।

कोविड-19 महामारी के दौरान राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा अपनी महती भूमिका अदा की गई जिसकी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के कोविड-19 के संदर्भ में वैक्सीनेशन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिसके प्रथम चरण में प्रारम्भिक शिक्षा के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस संदर्भ में दिनांक 11.02.2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाकर जिला स्तर तक के शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है एवं तदक्रम में दिनांक 13.02.2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राज्य स्तर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के पीईईओ स्तर तक अधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। इसी क्रम में कतिपय आवश्यक निर्देश निम्नानुसार बिन्दुवार जारी किये जाते हैं:-

1. लाभान्वित का चिन्हिकरण (Identification of Beneficiaries):-

- ग्रामीण क्षेत्र के समस्त पंचायती राज के अधीन आने वाले राप्रावि एवं राउप्रावि के सभी कर्मिकों को इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बेनीफिशियरी के रूप में चिन्हित किया गया है।
- शाला दर्पण में उपलब्ध डाटा के अनुसार बिन्दु संख्या 01 में अंकितानुसार सभी बेनीफिशियरीज की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चाहे गए प्रपत्र में सूचना तैयार कर सभी सीडीईओ की आधिकारिक ई-मेल आई.डी. पर आज ही प्रेषित की जा रही है।

2. डाटा अपडेशन (Data Updation):-

1. उपरोक्त सूचियों के अनुक्रम में सभी सीडीईओ से अपेक्षा की जाती है कि वे सोमवार दिनांक 15.02.2021 तक फील्ड से पीईईओ लेवल तक सूचियों का परीक्षण एवं Updation अग्रलिखित बिन्दुओं के तहत करवा लेवें, यदि सूची में कोई गर्भवती महिला (Pregnant), बच्चे को दुग्धपान करवाने वाली महिला (Lactating), कैसर रोगी, क्रोनिक मेडिकल हिस्ट्री वाले पेशेन्ट जो कि चिकित्सीय मानदण्डों के अनुसार इस वैक्सीनेशन हेतु पात्र नहीं है तथा चिकित्सीय कारणों से अनिच्छुक व्यक्ति, उन्हें लाल रंग से चिन्हित कर देवें क्योंकि इन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। यदि प्रेषित डाटा में किसी विद्यालय का कर्मचारी छूट गया हो तो आप उसे Add कर सकते हैं और उसके संबंध में सभी प्रविष्टियों का अंकन कर सकते हैं इस प्रकार प्रेषित सूचियों में यदि कोई नया नाम आपके स्तर से Add किया जा रहा है तो उसका गुलाबी रंग से अंकन करें। उल्लेखनीय है कि यदि किसी कर्मचारी के संबंध में की गई डाटा प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, जैसे जन्म दिनांक, मोबाईल नम्बर, पिन कोड आदि। ध्यात्वय हैं कि यह डाटा केवल वैक्सीनेशन के प्रयोजन के निहित है।
- 2- यहाँ उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि किसी भी बेनीफिशियरी के संबंध में कार्मिक का नाम/जन्म दिनांक/मोबाईल नम्बर/Pin Code की सूचना किसी भी स्थिति में त्रुटिपूर्ण नहीं होनी चाहिये। स्पष्ट किया जाता है कि वैक्सीनेशन पोर्टल मोबाईल नम्बर आधारित है तथा भविष्य में बेनीफिशियरी की ट्रेकिंग मोबाईल नम्बर के माध्यम से होगी तथा वैक्सीनेशन के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेशन का निर्धारण Pin Code के आधार पर होगा, अतः मोबाईल नम्बर व Pin Code की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो।
- समस्त डाटा प्रविष्टि में विद्यालय के पते को ही आधारभूत पता माना जावे ताकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विद्यालय के निकटस्थ पॉइन्ट को वैक्सीनेशन प्लेस के रूप में चिन्हित किया जा सके।
- समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है कि पीईईओ स्तर से समस्त सूचियों का परीक्षण/सत्यापन करवाते हुए अद्यतन सूचियां सोमवार दिनांक 15.02.2021 सायं 05.00 बजे तक इस कार्यालय की मेल आईडी aayukt.ele@gmail.com पर प्रेषित करावें तथा तदक्रम में एक प्रमाण-पत्र जो कि प्रपत्र -ब के रूप में संलग्न है, हस्ताक्षरित कर प्रेषित करें।


- आप द्वारा अद्यतन कर प्रेषित की गई सूचियों को राज्य स्तर पर सीधे ही चिकित्सा विभाग से समन्वय करते हुए वैक्सीनेशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा एवं पोर्टल पर अपलोड होने के उपरान्त डाटा में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अतः सूचियों को प्रेषित करते समय सावधानी एवं सवेदनशीलता बरते।

3. **प्रबन्धन:-**

शिक्षा विभाग द्वारा वैक्सीनेशन पोर्टल पर डाले गये सभी बेनिफिशियरी का शत प्रतिशत वैक्सीनेशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मानदण्डों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो सके इस हेतु निम्नानुसार प्रभारी बनाये जाते हैं जो कि समयबद्ध एवं नियमानुसार डाटा अपडेशन, कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकॉल एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन होना सुनिश्चित करवायेंगे:-

क्र.सं	स्तर	प्रभारी	विशेष विवरण	नियंत्रण कक्ष
1	राज्य	श्रीमती रचना भाटिया, अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर (प्रभारी) श्री अशोक सांगवा, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर (सहप्रभारी)	राज्य स्तरीय प्रभारी के अधीन निम्नानुसार कोर ग्रुप का गठन किया जाता है जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करते हुए वैक्सीनेशन दिवस को शत प्रतिशत वैक्सीनेशन हो सके इस बाबत सहयोग करेंगे। 1. श्रीमती रितु भास्कर, सिस्टम एनालिस्ट 2. श्री सुरेश ओला, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर 3. श्री अजय गोदारा, स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा 4. श्री राकेश कुमार ढल्ला, सहायक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा 5. श्रीमती मीनाक्षी तंवर, शाला दर्पण प्रभारी, प्रारम्भिक शिक्षा	वैक्सीनेशन दिवस को कार्यालय का दूरभाष नम्बर-0151-2226553 नियंत्रण कक्ष के रूप में क्रियाशील रहेगा।
2	सम्भाग	संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा		अपने स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे।
3	जिला	1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जिला (प्रभारी) 2. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), प्रारम्भिक शिक्षा (सहप्रभारी)	समस्त प्रभारी/सहप्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समयबद्ध एवं नियमानुसार डाटा अपडेशन, कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकॉल एवं एडवाइजरी के तहत बेनिफिशियरी के शत प्रतिशत वैक्सीनेशन हेतु राज्य कार्यालय/सम्बन्धित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए निरन्तर रूप से कार्य करेंगे।	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे एवं वैक्सीनेशन दिवस को वैक्सीनेशन सम्बन्धी सूचना निम्नानुसार प्रपत्र-स में राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम की मेल आई.डी. ayukt.ele@gmail.com पर उपलब्ध करवाये जाने तक अपने नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील रखेंगे तथा राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष की अनुमति के बाद ही कार्यालय बन्द करेंगे।
4	ब्लॉक	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित ब्लॉक		अपने स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे तथा राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष की अनुमति के बाद ही कार्यालय बन्द करेंगे। वैक्सीनेशन दिवस को वैक्सीनेशन सम्बन्धी सूचना निम्नानुसार प्रपत्र-स में सीडीईओ को प्रेषित करेंगे।
5	ग्राम पंचायत	पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित ग्राम पंचायत		वैक्सीनेशन दिवस को वैक्सीनेशन सम्बन्धी सूचना निम्नानुसार प्रपत्र-स में सीडीईओ को प्रेषित करेंगे।


अपेक्षा की जाती हैं कि जिस भांति शिक्षा विभाग कोविड-19 के दौरान सराहनीय कार्य करते हुए अपनी महती भूमिका अदा की है उसी भांति इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी आगे बढ़कर हिस्सेदारी की जायेगी।
संलग्न : परिशिष्ट-अ, शालादर्पण पोर्टल से प्राप्त सूचियां जो आपको ऑनलाईन प्रेषित की जा रही है।
परिशिष्ट-ब, सीडीईओ द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप।
परिशिष्ट-स, सीडीईओ द्वारा राज्य नियंत्रण कक्ष को प्रेषित की जाने वाली प्रगति सूचना का प्रारूप।


(सौरभ स्वामी)
I.A.S.

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज
(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान
वीकानेर
दिनांक : 13.02.2021

क्रमांक:शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्था/एफ-6/विविध/2021
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त।
4. राज्य स्तरीय प्रभारी/सहप्रभारी।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिशिअ(मु.), प्राशि/सीवीईओ/पीईईओ (समस्त)।
6. संबंधित अन्य अधिकारी/कार्मिक/कार्यालय।
7. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज
(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान
वीकानेर

प्रपत्र-ब

कार्यालय

प्रमाण-पत्र

मैं,.....(नाम) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी.....(जिला) यह प्रमाणित करता हूँ कि आप द्वारा सम्प्रेषित बेनिफिशियरी की डाटा सूचियों का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं परिपत्र दिनांक: 13.02.2021 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सत्यापन/अपडेशन कर लिया गया है।

हस्ताक्षर
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
जिला.....

प्रपत्र-स

कार्यालय

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से राज्य कार्यालय को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रारूप-

क्र.सं.	जिला	पोर्टल पर चिन्हित बेनिफिशियरीज की कुल संख्या	वैक्सीन लेने वाले बेनिफिशियरीज की संख्या	उपलब्धि (प्रतिशत)

हस्ताक्षर
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
जिला.....